दूरभाष : 01437–220177
फैक्स नं. 91–01437–220163

भा.कृ.अ.प.–केन्द्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान

अविकानगर, तह0 मालपुरा, जिला–टोंक (राजस्थान) – 304501

ICAR-Central Sheep & Wool Research Institute

Avikanagar, Teh.Malpura, Dist.Tonk (Rajasthan) – 304501

REGISTERED

F.No. 6(11)SP/Comm./98/Vol.II/ Dated: 26.02.2015

The Advertisement Manager, Rajasthan Patrika, J.L.N. Marg, Jaipur (Raj)-	The Advertisement Manager The Indian Express News papers Ltd., C-7, Dwarka Puri, JLN Marg, C- Scheme, Jaipur - 302002	The Controller of Publication, Govt. of India, Department of Publication, Civil Lines, Delhi – 110054 E-mail : itj.dgcis@nic.in Fax No. 033-22486528
JAIPUR EDITION IN HINDI	DELHI EDITION IN ENGLISH	DELHI EDITION IN HINDI

Subject : PUBLICATION OF **NOTICE INVITING TENDER .**

Dear Sir,

I am directed to request you to please arrange insertion of the enclosed **NOTICE INVITING TENDER** in your esteemed newspaper as per instructions given below.

1. a) Date of Insertation : As early as possible
   b) Edition : As above
   c) Space : Minimum possible
   d) Position : **NOTICE INVITING TENDER**
2. Scheduled date should be adhered-to-strictly.
3. Matter should be typed solid in the smallest type available with you so as to ensure that the space used in irreducible minimum.
4. **One copy of the newspaper should be sent immediately after insertion of the NOTICE INVITING TENDER.** Insertion will be rejected for bad print, errors omissions or other defects.
5. **Bill duly Pre-receipted (stamped) in triplicate in the name of the Director, CSWRI, Avikanagar be sent for arranging payment.** Voucher copy of the newspaper should be enclosed with the bill.
6. Certificate to the effect that the raters charged in the bill are in accordance with the rates approved by DAVP, New Delhi, should be recorded on the bill. A copy of the rates approved by DAVP, New Delhi is enclosed with the bill.

If you cannot insert the matter with in the specified time due to one or other reason, it may be informed to this Institute immediately for our information.

नोटः कृपया हिन्दी/अंग्रेजी रूपान्तरण अपने स्तर पर करने का श्रम करें।

Yours faithfully,

Encl. As above:

Assistant Administrative Officer

Copy to:-

1. Admn-II Section 2. Audit Section 3. Store Section 4. Advertisement file No.6(187)SP/2008
5. Concerned Division / Sections for further necessary action
6. I/c AKMU for upload on Institute website & Public Procurement Portal please
7. All concerned file 8. All notice boards.

Assistant Administrative Officer

दूरभाष : 01437–220177
फैक्स नं. 91–01437–220163

भा.कृ.अ.प.–केन्द्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान
अविकानगर, तह0 मालपुरा, जिला–टोंक (राजस्थान) – 304501
ICAR-Central Sheep & Wool Research Institute
Avikanagar, Teh.Malpura, Dist.Tonk (Rajasthan) – 304501

F.No. 6(11)SP/Comm./98/Vol.II/ Dated: 26.02.2015

निविदा सूचना

सचिव भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली की ओर से निदेशक, केन्द्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान संस्थान, अविकानगर में विभिन्न प्रकार के कार्य जैसे– अतिथिगृह, अविकानगर, जयपुर, स्नातकोत्तर छात्रावास, अविकानगर, की देखरेख, रख–रखाव व हाऊस कीपिंग कार्य, कृषि, बागवानी, औषधीय केक्ट्स व सैंजना गार्डन की देख–रेख, बकरियों के दूध का निष्पादन, साफ–सफाई तथा सीवरेज सें संबंधित कार्य को जॉब कोन्ट्रेक्ट के आधार पर करवाने के लिय श्रम विभाग में पंजिकृत अथवा पेन कार्ड आधारित अनुभवी ठेकेदारों/फर्मो से मुहरबन्द निविदायें आमन्त्रित की जाती है। निविदा सूचना से संबंधित विस्तृत विवरण, जानकारी, निविदा प्रपत्र, नियम व शर्ते आदि संस्थान की वेबसाईट **www.cswri.res.in** & www.eprocure.gov.in पर उपलब्ध है। इच्छुक निविदादाता निविदा प्रपत्र संस्थान की वेबसाईट/सी.पी.पी. पोर्टल से डाउनलोड करते हुये मय निविदा शुल्क व अमानत राशि के अन्तिम तिथि दिनांक 18.03.2015 को अपराह्न 01.00 बजे तक जमा करा सकते है।

सहायक प्रशासनिक अधिकारी

TENDER PORTION

दूरभाष : 01437–220177
फैक्स नं. 91–01437–220163

भा.कृ.अ.प.–केन्द्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान
अविकानगर, तह0 मालपुरा, जिला–टोंक (राजस्थान) – 304501
ICAR-Central Sheep & Wool Research Institute
Avikanagar, Teh.Malpura, Dist.Tonk (Rajasthan) – 304501

क्रमांक: 6(176)एसपी / 2008 / पार्ट–प्रथम / दिनांक: 26.02.2015

To

M/s……………………………….
…………………………………….
…………………………………….
…………………………………….

SUB: INVITATION OF TENDER AND INSTRUCTION TO TENDERERS.

Dear Sir(s),

I invite you to tender for the supply of the stores/items detailed in schedule. The conditions of contract, which will govern contract made are those contained in the general conditions of contract applicable to the contract placed by the Indian council of Agricultural Research and the Research institute under it and the special conditions detailed in tender form and those attached herewith. If you are in a position to quote for supply in accordance with requirements stated in the attached schedule. please submit your offer to this office on the prescribed tender attached.

2. EARNEST MONEY: Earnest Money of Rs.5000 (Five thousand only) must be deposited either in the shape of Demand Draft or T.D.R. in favour of **"I.C.A.R. Unit C.S.W.R.I. Avikanagar"** drawn on S.B.B.J.. Malpura (l0088) District Tonk (Rajasthan).

THE TENDER MAY NOT BE CONSIDERED IF THE EARNEST MONEY RECEIPT IS NOT SENT ALONGWITH THE TENDER. NO REQUEST FOR TRANSFER OF ANY PREVIOUS DEPOSIT OF EARNEST MONEY WILL BE ENTERTAINED.

It is understood that the tender document has been issued to the tenderer and the tenderer is being permitted to tender in consideration of the stipulation on his part that after submitting his tender he will not resile from his offer or modify the tender and conditions thereof. Should the tenderer fail to observe/comply with the foregoing stipulation. the aforesaid amount will be forfeited to the "Indian Council of Agricultural Research." In the event of the offer made by the tenderer not being accepted the amount of earnest money deposited by the tenderer will be refunded to him after he has applied for the same in the manner prescribed by the Indian Council of Agricultural Research.

The Earnest Money should not on any account fall short of the amount actually required.

3. The schedule to the tender form should be returned intact whether you are quoting any item or not.

4. SIGNING OF TENDER:
(a) The tender is liable to be ignored if complete information is not given therein or if the particulars and date, if any, asked for in the schedule to the tender are not fully filled in. Specific attention must be paid to delivery dated and also to the general conditions of the contract would be governed by them.
(b) Individual signing the tender or other documents connected with the contract must specify whether he signs as:
(i) A sole proprietor of the firm or constitute attorney of such sole proprietor.
(ii) A partner of the firm if it be a partnership, in which case he must have authority to refer to arbitration dispute concerning the business of the partnership either by virtue of the partnership agreement or power of attorney.
(iii) Constituted attorney of the firm if it is a company.
(iv) Each page of the tender, schedule to tender and annexure, if any, should be signed by the tenderer.

5. DELIVERY OF TENDER: The original copy of the tender is to be enclosed in double cover. The inner cover should be sealed. All the covers should be subscribed with "Tender for (name of items) & due on….. Right is reserved to ignore any tender which fails to comply with the above instructions. All out station tenders should be sent by Registered Post. Only one tender should be included in a cove. All tenders enclosed in one cover will liable to be ignored.

6. LAST HOUR FOR RECEIPT OF TENDERS: Unless otherwise specified in the schedule to tender, your tender must reach this office not later than 1.00PM on the due date of opening of tenders. Tenders sent by hand delivery should be put in the tender box at this office not later than 1.00 PM. On the due date unless otherwise stipulated in the schedule to tender.

7. PERIOD FOR WHICH THE OFFER WILL REMAIN OPEN:
   (i) Firms tendering should not that their offer should remain open for acceptance of 120 days from the date of opening of tender. If the firms are unable to keep their offer open for the specified period, they should specifically state in the tender form the period up to which they want their tender to remain open for acceptance. In the absence of such specification in the tender it will be assumed that their offer will remain open or acceptance for the period as specified in the schedule.
   (ii) Quotation qualified by such vague and indefinite compression such as "subject to immediate acceptance" subject to prior sale" will not be accepted.

8. OPENING OF TENDERS: You are at liberty to be present or authorize your representative to be present at the opening of the tender at the time and date as specified in the schedule. The name and address of the representative who would be attending to opening of the tender on your behalf should be indicated in your tender. Please also state the name and address of your permanent representative, If any.

9. PRICES.
   (1) The prices quoted most be net per unit shown in the schedule and must include all packing and delivery charges. Refunds on account of returnable packages (if any) are to be separately specified. Prices and reductions must be clearly shown in figures and words in Indian currency.
   (2) The prices must be stated for each item separately. The percentage of reduction in the total price for entire demand should also be quoted, should and order to that extent be placed with you.
   (3) If it is decided to ask for excise duty or any other charges as extra, the same must be specifically stated. In the absence of any such stipulation, it will be presumed that the prices include all such charges and no claim for the same will be entertained.
   (4) The prices by the tenderer should be exclusive of Sale Tax (and should be clearly stated to be so) which be paid by the purchaser, if legally livable at the rate ruling on the date of supply as specified in the acceptance of tender. The rate of sales tax/CST/VAT etc. should be clearly mentioned in the offer.

10. TERMS OF DELIVERY: The delivery of stores is required by the date specified in the schedule to tender. If, however, it is not possible for you to effect delivery by the dates, you should specify the date by which you can guarantee delivery in the prescribed schedule to the tender.

11. SAMPLES: Tender samples are required duly sealed under cover only.

    TENDER/QUOTATION WITHOUT SAMPLES WHEN SPECIFICALLY CALLED FOR ARE LIABLE TO BE IGNORED

12. EXAMINATION OF PATTERN OF CERTIFIED SAMPLES: When sealed pattern are mentioned in the schedule to the tender of specification. Certified sample thereof, may be seen at the place stated in the schedule to tender and should be examined by a competent person on your behalf (who should take this invitation with him) before the tender is submitted.

13. PACKING: Unless a method of packing is indicated in the specification or in the schedule to the tender for the method of packing which the contractor proposes to employ must be described in the schedule to tender form.

14. RIGHT OF ACCEPTANCE: The office does not pledge itself to accept the lowest or any tender and reserves itself the right of accepting the whole or any part of the tender or portion of the quantity offered and you, shall supply the same at the rates quoted. You are at liberty to tender for the whole or any portion or to state in the tender that the rate quoted shall apply only if the entire quantity is taken from you.

15. COMMUNICATION OF ACCEPTANCE: Express Telegram/Letter of acceptance or formal acceptance or tender will communicate acceptance by the purchaser. In the case where acceptance is communicated by telegram or express letter the formal acceptance of tender will be forwarded to you as early as possible but the instruction contained in the express telegram or letter should be acted upon immediately.

16. The purchaser reserves the right to place order on the successful tenderers for additional supply of the items at the rate quoted depending upon the performance/workmanship of the tenderer. Tenderers are bound to accept order for any additional quantity under this clause only if the order is placed with them within one year from the date of issue of acceptance of tenders.

17. In case a contract is placed on you as a result of this tender you should satisfy yourself that the stores are in accordance with the terms of contract and fully confirm to the required specification by carrying out thorough pre-inspection. Such pre-inspection on your part should minimize the chance of rejection in the inspection and the consequences thereof.

18. This contract will be valid and binding subject to compliance of concerned act/regulation of central or state, as may be applicable, by the tenderers.

Yours faithfully,

For and on behalf of the ICAR
DIRECTOR
CSWRI, AVIKANAGAR

Tender No.
Contractor's Fax No.
Address
Telephone No.
Code

From

To

The Director
Central Sheep & Wool Research Institute, Avikanagar
Teh. Malpura, Distt. Tonk (Rajasthan) – 304 501

Sir,

I/We hereby offer to supply the stores detailed in the schedule hereto or such portion thereof as you may specify in the acceptance of tender at the price given in the said schedule and agree to hold this offer open till 120 days. I/we shall be bound by a communication/acceptance dispatched within the prescribed time.

I/We have understood the instructions to tenderers and conditions of contract included in the general conditions of contracts governing such contracts placed by the Indian Council of Agricultural Research and Research Institutes under it and the special conditions of contract and have thoroughly examined the specification/drawing and/or pattern quoted in the schedule there to and am/are fully aware of the stores required and my/our offer is to supply stores strictly in accordance with the requirements.

The following pages have been added to and form part of this tender.

Yours faithfully

(Signature of Tenderer)

Name

Address

Dated

Signature of witness

Name

Address

Enclosures: As above.

भा.कृ.अ.प.–केन्द्रीय भेड एवं ऊन अनुसंधान संस्थान, अविकानगर
तहसील–मालपुरा, जिला–टोंक, राजस्थान –304 501

क्रमांकः 6(176)एसपी/2008/पार्ट–प्रथम/ दिनांकः 26.02.2015

निविदा प्रपत्र सूची

1. भरी हुई निविदा/कोटेशन प्राप्त करने की अन्तिम तिथि : दिनांक 18.03.2015 दोपहर बाद 1.00 बजे तक
2. निविदा/कोटेशन खोलने की अन्तिम तिथि : दिनांक 18.03.2015 दोपहर बाद 3.00 बजे से
3. अमानत राशि : 5000/– रूपये
4. निविदा की मान्य अवधि : 120 दिन

क्र. सं.	खाद्य सामग्री का नाम	मात्रा/नग	दर अंकों में	दर शब्दों में
1.	**लंच/डिनर (दैनिक)**			
	अ. शाकाहारी भोजन चपाती/चावल, सब्जी, दाल, सलाद, आचार व पापड़	प्रति डाईट		
	ब. सुविधानुसार पूर्व आदेश देने पर चपाती, पूड़ी, सब्जी, दाल, खीर, सलाद व अचार (खीर 200 ग्राम)	प्रति डाईट		
	स. मांसाहारी भोजन पूर्व आदेश देने पर चपाती, चावल, दाल, मांस 200 ग्राम, अचार, सलाद व पापड़	प्रति डाईट		
	द. स्पेशल लंच/डिनर (बूफे सिस्टम) चपाती, चावल, दालफ्राई, दही या रायता (200 ग्राम), सब्जिया, स्वीटडिस, सलाद, अचार, पापड़	प्रति डाईट		
	नास्ता सामग्री			
	अ. आलू के दो पराठें मय दही एवं अचार या पूड़ी छः नग मय सब्जी एवं अचार या ब्रेड चार पीस मय आमलेट चटनी/सॉस, चाय सहित	दर प्रति प्लेट		
	ब. ब्रेड़ पकोड़ा	प्रति नग		
	स. आमलेट एक अण्डे का	प्रति नग		
	द. आमलेट डबल अण्डे का	प्रति नग		
	य. उबला अण्डा	प्रति नग		
	र. पराठा मसाले वाला	प्रति नग		
	ल. पराठा सादा	प्रति नग		
	व. दही प्लेट 200 ग्राम	प्रति नग		
	अल्पाहार सामग्री (पहले आदेश देने पर)			
	अ. चाय 125 मिली लीटर	प्रति कप		
	ब. दूध 200 मिली लीटर	प्रति गिलास		
	स. कॉफी 125 मिली लीटर	प्रति कप		
	द. समोसा – 75 ग्राम	प्रति नग		
	य. कचौरी – 50 ग्राम	प्रति नग		
	र. पकोड़ी – 100 ग्राम	प्रति 100 ग्राम		
2.	**अतिथिगृह व ऑडोटोरियम की आन्तरिक सुरक्षा, साफ–सफाई एवं हाऊस कीपिंग से संबंधित कार्य**	**दर प्रतिमाह**		
3.	**स्नातकोत्तर छात्रावास की आन्तरिक सुरक्षा, साफ–सफाई एवं हाऊस कीपिंग से संबंधित कार्य**	**दर प्रतिमाह**		

यह प्रमाणित किया जाता है कि मैनें निविदा/कोटेशन में दर्शायी गई सभी नियम व शर्ते भली–भाँति पढ़ली है तथा मुझे पूर्णरूप से स्वीकार है। मैं उपरोक्त दर्शायी गई दरों पर संस्थान के अतिथिगृह, ऑडिटोरियम व स्नातकोत्तर छात्रावास की आन्तरिक सुरक्षा, साफ–सफाई एवं हाऊस कीपिंग से सम्बन्धित समस्त कार्य को अनुबन्ध/ठेके के आधार पर सम्पन्न करवाने के क्रम में रेट कोन्ट्रेक्ट/जॉब कोन्ट्रेक्ट पर करने के लिये सहमत हूँ। मैं प्रभारी, अतिथिगृह तथा ऑडिटोरियम एवं स्नातकोत्तर छात्रावास या उनके प्रतिनिधि से समय–समय पर सम्पर्क करके उनके निर्देशानुसार अनुबन्ध कार्य करता रहूँगा। मैं अनुबन्ध कार्य में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करूँगा और संस्थान के अधिकारियों/कर्मचारियों से विनम्रता पूर्वक व्यवहार रखूँगा। यदि मेरे या प्रतिनिधियों द्वारा अनुबन्ध कार्य में किसी प्रकार का व्यवधान/हस्तक्षेप करने/या उनके द्वारा बताये जाने वाले कार्य को करने के लिये मना आदि करता हूँ तो मेरे द्वारा

जमा करवाई जाने वाली अमानत/जमानत राशि को जब्त करके अनुबन्ध को निरस्त किया जा सकता हैं जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी मेरी होगी। साथ ही मैं यह भी वचन देता हूँ कि मुझें व मेरे प्रतिनिधि को उपरोक्त निविदा/कोटेशन प्रपत्र में दर्शाये गये कार्यो का पूर्ण ज्ञान है।

मै यह भी वचन देता हूँ कि मैं भारत/राजस्थान सरकार के प्रचलित सभी श्रमिक नियमों का पूर्ण रूप से पालन करूँगा तथा मेरे द्वारा लगाये गये सभी प्रतिनिधियों की मजदूरी का भुगतान समय–समय पर निर्धारित दैनिक मजदूरी की दर से करूँगा।

यह मेरे/हमारे संज्ञान में भली–भाँति से है कि आपके द्वारा उपरोक्त कार्य हेतु प्राप्त निविदाओं/कोटेशनों में आप न्यूनतम अथवा किसी अन्य निविदा/कोटेशन को स्वीकार करने हेतु बाध्य नहीं है एवं सक्षम अधिकारी द्वारा लिया गया निर्णय मुझे/हमें मान्य हैं। अनुबन्ध की अवधि समाप्त होने के उपरान्त मेरा व मेरे द्वारा लगाये गये प्रतिनिधियों का इस संस्थान से जॉब कोन्ट्रेक्ट के अलावा कोई सम्बन्ध नहीं रहेगा और न ही मै किसी प्रकार का संस्थान के खिलाफ कोई कार्यवाही करूँगा।

दिनांक ––––––––

हस्ताक्षर अनुबन्धकर्ता/फर्म प्रतिनिधि मय सील

पूरा पता

टेलीफोन/मोबाईल नं.

संस्थान के अतिथिगृह, ऑडोटोरियम व स्नातकोत्तर छात्रावास की आन्तरिक सुरक्षा, साफ–सफाई व हाऊस कीपिंग से सम्बन्धित कार्य तथा स्नातकोत्तर छात्रावास में मैस संचालन करने से सम्बन्धि कार्य को वार्षिक अनुबन्ध/जॉब कोन्ट्रेक्ट के आधार पर सम्पन्न करवाने की नियम व शर्ते

1. निविदा/कोटेशन प्रपत्र इस संस्थान द्वारा जारी प्रदत्त प्रपत्र/संस्थान की वेबसाईट से डाउनलोड किये गये प्रपत्र पर ही स्वीकार किये जायेगें (जो कि प्रपत्र सूचि में दर्शाया गया है)। **निविदा/कोटेशन संस्थान के निदेशक महोदय के नाम क्रय अनुभाग में दिनांक 18.03.2015 तक समय दोपहर 1.00 बजे तक प्रस्तुत करना है।** सशर्त अथवा ईमेल द्वारा भेजे गये तथा देरी से प्राप्त निविदाओं/कोटेशनों को स्वीकार नहीं किया जावेगा। अनुबन्धकर्ता **के पास पेन कार्ड अथवा श्रम विभाग से पंजीकृत होने का प्रमाण पत्र होना आवश्यक है तथा इसकी फोटोप्रति निविदा/कोटेशन के साथ संलग्न करना अनिवार्य है, संलग्न नहीं करने पर निविदा/कोटेशन स्वतः निरस्त माना जावेगा।** निविदा/कोटेशन उसी दिन दोपहर बाद 3.00 बजे निविदादाताओं/कोटेशनदाताओं के समक्ष खोले जावेगे।
2. अनुबन्धकर्ता को निविदा शुल्क 1000/– रूपये मात्र नकद अथवा डी.डी. तथा 5000/– रूपये का डिमाण्ड ड्राफ्ट जो कि आईसीएआर यूनिट सीएसडब्लूआरआई अविकानगर, मालपुरा **(ICAR Unit CSWRI, Avikanagar, Malpura)** के नाम से देय हो अमानत राशि के रूप मे प्राप्त की जावेगी। बिना अमानत राशि के निविदा/कोटेशन स्वीकार नहीं की जावेगी। सफल अनुबन्धकर्ता को कार्य आदेश प्राप्त करने से पूर्व नियमानुसार जमानत राशि 10 प्रतिशत जमा करानी होगी उसके उपरान्त ही कार्यादेश जारी किया जावेगा। सफल अनुबन्धकर्ता द्वारा जमा करवाई गई जमानत राशि अनुबन्ध की अवधि संतोषप्रद पूर्ण होने एवं संबंधित प्रभारी द्वारा अदेय प्रमाण–पत्र जारी करने के उपरान्त नियमानुसार वापस लौटाई जावेगी। यदि अनुबन्ध की अवधि के दौरान अनुबन्धकर्ता का कार्य असन्तोषजनक पाया जाता है तो आप द्वारा जमा करवाई गई जमानत राशि को जब्त कर लिया जावेगा।
3. कार्य को अनुबन्ध पर करने के लिये उचित व न्यूनतम दर ही स्वीकार की जावेगी। **निविदा/कोटेशन जो भारत सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम श्रमिक दर को पूर्ण नहीं करेगी उसे निरस्त समक्षा जावेगा।** साथ ही पेटी ठेका मान्य नहीं होगा।
4. अनुबन्ध की अवधि कार्यादेश जारी होने की तिथि से एक वर्ष तक रहेगी। कार्य सन्तोषजनक व समय पर पूर्ण होने पर यदि आवश्यक हुआ तो संस्थान द्वारा अनुबन्ध की अवधि आपसी सहमति से वर्तमान दर, नियम व शर्तो पर आगे भी बढ़ाई जा सकती हैं। कार्य सन्तोषजनक नही रहने पर अनुबन्ध को समय से पूर्व ही बिना सूचना के रद्द किया जा सकता हैं।

क्र.सं.1 अतिथिगृह, ऑडोटोरियम एवं स्नातकोत्तर छात्रावास के आन्तरिक सुरक्षा, साफ–सफाई तथा हाऊस कीपिंग के कार्य की नियम व शर्ते –

5. निविदादाता/प्रतिनिधि को सरकारी/गैर सरकारी आवासीय होटल/छात्रावास में 2 वर्ष का कार्यानुभव होना चाहिए तथा निविदा के साथ अनुभव प्रमाणपत्र की प्रतिलिपि संलग्न करें।
6. अनुबन्ध के दौरान अनुबन्धकर्ता को अतिथिगृह, ऑडिटोरियम तथा स्नातकोत्तर छात्रावास की आन्तरिक/बाहरी सुरक्षा, रख–रखाव व हाउस कीपिंग कार्य करना होगा।
7. अनुबन्ध के दौरान अनुबन्धकर्ता को अतिथिगृह, ऑडिटोरियम तथा स्नातकोत्तर छात्रावास के शौचालयों, कमरों, बरामदों, रसोई, स्टोर, डाईनिंग हॉल, समिति कक्ष, ऑफिस कक्ष, की दिन में दो बार पौछा लगाकर सफाई करनी होगी। साथ ही अतिथिगृह, ऑडिटोरियम तथा स्नातकोत्तर छात्रावास के चारों तरफ के आंगन की साफ–सफाई भी करनी होगी।
8. अनुबन्ध की अवधि में अतिथिगृह, ऑडिटोरियम तथा स्नातकोत्तर छात्रावास के फर्नीचर, डबलबेड, व अन्य सामान को सुव्यवस्थित ढ़ग से रखना, बेड के तकिये, कम्बल, कवर आदि को आवश्यकतानुसार बदलना व कमरों की साफ–सफाई एवं अन्य हाऊस कीपिंग कार्य करने के साथ–साथ आवश्यकतानुसार उपलब्ध करवाये जाने वाले सामानों को सभी कमरों में उचित रूप से रखना होगा। साथ ही कन्जूमेबल, नॉन–कन्जूमेबल प्रकृति के सामानों की लिस्ट बनाकर तैयार करनी होगी तथा इनके रख–रखाव का विशेष ध्यान रखना। इन सामानों की किसी भी प्रकार की टूट–फूट अथवा गुम हो जाने की समस्त जिम्मेदारी अनुबन्धकर्ता की होगी।
9. अनुबन्धकर्ता को अनुबन्ध की अवधि में अतिथिगृह, ऑडिटोरियम तथा स्नातकोत्तर छात्रावास में स्थापित सभी स्थाई/अस्थाई सम्पति की सुरक्षा करनी होगी। साथ ही अनुबन्ध की अवधि में कोई सामान चोरी होता है अथवा संस्थान की सम्पति का नुकसान होता है तो उसकी भरपाई अनुबन्धकर्ता से की जावेगी।
10. अनुबन्धकर्ता को अनुबन्ध की अवधि के दौरान अतिथिगृह व स्नातकोत्तर छात्रावास हेतु फर्नीचर आदि संस्थान द्वारा उपलब्ध कराये जावेगें जिसकी देखभाल व उचित रख–रखाव की जिम्मेदारी स्वयं अनुबन्धकर्ता की होगी।
11. अनुबन्धकर्ता को अतिथिगृह में सरकारी रसोईये के अतिरिक्त आवश्यक होने पर डायनिंग व रसोई के लिये पर्याप्त मात्रा में श्रमिक लगाने होंगें। साथ ही अनुबन्धकर्ता/प्रतिनिधि 24 घण्टे अतिथिगृह में उपस्थित रहना अनिवार्य है। साथ ही रसोई की साफ–सफाई, जाले हटाना, बाथररूमों के कांचों की सफाई नियमित करनी होगी।
12. अनुबन्धकर्ता को अतिथिगृह, ऑडिटोरियम तथा स्नातकोत्तर छात्रावास में किसी भी प्रकार के कार्य हेतु श्रमिकों की संख्या पर्याप्त रखनी होगी तथा लाईटे समय पर चालू तथा बन्द करनी होगी। किसी भी कमरे में अकारण एक्जॉस्ट फेन, टी.वी., ए.सी. तथा लाईट चालू नहीं रहनी चाहिए।
13. अनुबन्धकर्ता को चाहिए कि वे अतिथिगृह व स्नान्तकोत्तर छात्रावास में ठहरने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों/व्यक्तियों के कमरा खाली करते समय संस्थान के स्थाई/अस्थाई सामान को जांच लें तथा किराया जमा कराने हेतु संस्थान के केयर टेकर को सूचित करें।
14. अनुबन्धकर्ता को अतिथिगृह, ऑडिटोरियम तथा स्नातकोत्तर छात्रावास की छत की साफ–सफाई रखनी होगी साथ ही छत पर रखी हुई पानी की टंकियों की हर तीन माह में सफाई करनी होगी।

15. अनुबन्धकर्ता को अतिथिगृह, ऑडिटोरियम तथा स्नातकोत्तर छात्रावास की साफ–सफाई हेतु नियमितरूप से एक श्रमिक 24 घण्टे उपलब्ध कराना होगा।
16. अनुबन्धकर्ता को ऑडोटोरियम होने वाले सभी प्रोग्राम हेतु साफ–सफाई, पर्दा चलाना, फर्निचर व्यवस्थित करना, सजावट में सहयोग करना, मंच की व्यवस्था तथा अन्य कार्यो हेतु पर्याप्त श्रमिकों की व्यवस्था करनी होगी।
17. अतिथिगृह, ऑडिटोरियम तथा स्नातकोत्तर छात्रावास में अनुबन्धकर्ता को किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य अथवा बदलाव आदि की अनुमति नही दी जावेगी। यदि किसी प्रकार निर्माण/बदलाव आवश्यक हुआ तो अनुबन्धकर्ता को सक्षम अधिकारी महोदय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना होगा। यदि बिना अनुमति के निर्माण/बदलाव किया गया तो अनुबन्ध तुरन्त प्रभाव से निरस्त कर दिया जावेगा साथ ही जमा जमानत राशि भी जब्त करली जावेगी। संस्थान की सम्पति को किसी प्रकार का नुकसान पहुँचाने पर हर्जाना राशि की कटोती जमानत राशि/मासिक बिल मे से की जा सकती हैं। अनुबन्ध की शर्तो को पूरा नही करने पर या कार्य सन्तोषजनक नही पाये जाने पर अनुबन्ध रद्द करने की स्थिति मे जमा जमानत राशि जब्त करली जावेगी।
18. अनुबन्धकर्ता को प्रभारी, अतिथिगृह, ऑडिटोरियम तथा स्नातकोत्तर छात्रावास/प्रतिनिधि के दिशा–निर्देशानुसार कार्य करना होगा।

क्र.सं.2 : स्नातकोत्तर छात्रावास के मैस को संचालित करने की नियम व शर्ते –

19. अनुबन्धकर्ता के पास स्वयं के नाम से राज्य सरकार के नियमों के अनुसार खाद्य सामग्री रखने, तैयार करने व विक्रय करने का खाद्य–अनुज्ञा पत्र (फूड लाइसेंस) होना चाहिये। यदि निविदा भरते समय निविदादाता के पास अनुज्ञा पत्र (फूड लाईसेन्स) नहीं हो तो निविदा स्वीकृत होने के पूर्व एक माह के भीतर–भीतर उसे राज्य सरकार से अधिकृत नियमानुसार अनुज्ञा पत्र (फूड लाईसेन्स) अपने स्तर पर प्राप्त करके कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा तदुपरान्त कार्यादेश जारी किया जावेगा।
20. अनुबन्धकर्ता/प्रतिनिधि सभी प्रकार की खाद्य सामग्री बनाने में निपुण होना चाहिए तथा उसे इस कार्य का कम से कम दो वर्ष का अनुभव होना चाहिए।
21. अनुबन्धकर्ता को छात्रावास भवन के रसोईघर व भोजनकक्ष के साथ भण्डार गृह में खाद्य सामग्री एवं पेय पदार्थ (नशे वाले पेय को छोडकर) रखने, पकाने, तैयार करने, आपूर्ति करने एवं विक्रय करने के लिये अनुज्ञा दी जावेगी। उक्त सामानों को रखने, पकाने, तैयार करने, परोसने, आदि का कार्य निविदादाता या उसके प्रतिनिधियों द्वारा होगी। संस्थान के भवनों में प्रवेश व निकास का अधिकार निविदादाता के वास्तविक कर्मचारी/एजेन्ट को निर्धारित सामानों की आपूर्ति करने के लिये होगी।
22. छात्रावास चलाने का अनुज्ञा–पत्र कार्यादेश जारी तिथि से एक वर्ष के लिये होगा, जिसे छात्रावास के मैस चलाने हेतु सफल अनुबन्धकर्ता के तरीके, व्यवहार, खाद्य सामग्री की गुणवत्ता, साफ–सफाई आदि के सन्तोषजनक पाये जाने पर आपसी सहमति से एक वर्ष के लिये बढाया जा सकता हैं। यदि अनुबन्ध के दौरान अनुबन्धकर्ता की कार्यशैली, व्यवहार, खाद्य सामग्री की गुणवत्ता, साफ–सफाई आदि संतोषजनक नही पाई जाती है तो अनुबन्ध को समय से पूर्व भी रद्द किया जा सकता हैं या दो सप्ताह का नोटिस देकर समाप्त/रद्द किया जा सकता हैं।
23. ग्राहक (संस्थान के अधिकारी/कर्मचारीगण) द्वारा भुगतान करने पर प्रोफार्मा में दर्शाये गये खाद्य/पेय पदार्थ की निर्धारित दर एवं मात्रा के अनुसार आपूर्ति की जावेगी। परोसे/आपूर्ति/विक्रय किये जाने वाले सामान की दर निविदा प्रोफार्मा के साथ संलग्न सूची प्रपत्र में दर्शाये गये सामानों व दरों के अनुरूप होनी चाहिए।
24. छात्रावास में आपूर्ति किये जाने वाला सामान उच्च गुणवत्ता या प्रभारी, छात्रावास द्वारा सुझाई गई/निर्धारित की गई गुणवत्ता वाला होगा। प्रभारी, स्नातकोत्तर छात्रावास, सक्षम अधिकारी अथवा उसके प्रतिनिधि किसी भी समय हॉस्टल में आकर खाद्य/पेय सामग्री का निरीक्षण कर सकते हैं एवं उनके द्वारा छात्रावास में प्रयोग/आपूर्ति किये जाने वाली सामग्री की गुणवत्ता का स्तर सुधारने के लिये लिया गया निर्णय अनुबन्धकर्ता को मान्य होगा। साथ ही राज्य सरकार के स्वास्थ्य अधिकारियों को भी खाद्य सामग्री का निरीक्षण करने का पूर्ण अधिकार होगा।
25. अनुबन्धकर्ता को डायनिंगहाल व रसोई के लिये पर्याप्त मात्रा में रसोइये कर्मचारी लगाने होगें। अनुबन्धकर्ता की यह जिम्मेदारी होगी कि ड्यूटी पर उपस्थित रसोइये/सेवक आदि किसी संक्रामक रोग से पीड़ित नही हो, निर्धारित यूनीफार्म (एप्रेन) में हो तथा कर्मचारियों/अधिकारियों/मेहमानों आदि से बातचीत/व्यवहार मे विनम्रता, ईमानदारी, संयमी एवं शिष्ट हो। अनुबन्धकर्ता अथवा उसके कर्मचारियों द्वारा किसी प्रकार की अवज्ञा/अवहेलना करने की स्थिति में अनुज्ञा–पत्र को निरस्त किया जा सकता हैं।
26. रसोई में कार्य करते समय अनुबन्धकर्ता/प्रतिनिधियों को एप्रेन, केप व हाथ के दस्ताने इत्यादि पहनने होंगे।
27. अनुबन्धकर्ता को छात्रावास में आने वाले प्रशिक्षणार्थियों/मेहमानों को आवश्यकतानुसार निर्धारित समय पर चाय, नास्ता, दोपहर व रात्रि के भोजन की व्यवस्था करनी होगी तथा उनके द्वारा बिल मांगने पर प्रिन्टेड बिल प्रस्तुत करना होगा।
28. अनुबन्धकर्ता को छात्रावास काउन्टर पर शिकायत/सुझाव पुस्तिका रखनी होगी जिसमें संस्थान के अधिकारी/कर्मचारी/मेहमान आदि शिकायत/सुझाव लिख सकेगें तथा इस पुस्तिका का प्रभारी, स्नानकोत्तर छात्रावास द्वारा समय–2 पर अवलोकन किया जावेगा।
29. छात्रावास का समय सुबह 6.00 बजे से रात्रि 11.00 बजे तक रहेगा लेकिन सक्षम अधिकारी महोदय द्वारा छात्रावास समय में परिवर्तन किया जा सकता है, जिसे अनुबन्धकर्ता को मानना होगा।
30. अनुबन्धकर्ता द्वारा भोजन एवं अन्य खाद्य/पेय सामग्री छात्रावास हॉल में ही परोसी जावेगी न कि छात्रावास के बाहर (केवल चाय ट्रे/केतली में विभिन्न विभागों/अनुभागों में आपूर्ति हेतु लाई जा सकती है)।
31. संस्थान के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा ली गई सामग्री का भुगतान नगद लिया जावेगा या उधार लिया जावेगा यह वयवस्था अनुबन्धकर्ता को स्वयं अपने स्तर पर करनी होंगी।
32. अनुबन्धकर्ता द्वारा छात्रावास के अन्दर (रसोई, भण्डार गृह व भोजनकक्ष में) हर समय सफाई का पूरा ध्यान रखेगा एवं राजस्थान सरकार (स्वास्थ्य विभाग) के मानको को पूरा करेगा। प्रत्येक कार्य दिवस को प्रातः 9–00 बजे एवं दोपहर बाद 2–30 बजे छात्रावास में स्वयं के स्तर पर झाडू/पौचा लगवाकर सफाई करवानी होगी तथा उस समय छात्रावास को बन्द रखे बिना अनुबन्धकर्ता को सफाई करवानी होगी। सफाई की व्यवस्था ठीक नही रखनें एवं खाद्य सामग्री की गुणवत्ता पर ध्यान नही देने पर अनुबन्ध को दो सप्ताह का नोटिस देकर समाप्त किया जा सकता हैं। इस सम्बन्ध में सस्थान के निदेशक महोदय का निर्णय अन्तिम माना जावेगा।

33. अनुबन्धकर्ता को अनुबन्ध की अवधि में छात्रावास भवन, फर्निचर आदि संस्थान द्वारा मुफ्त उपलब्ध कराये जावेगें जिसकी देखभाल व उचित रख–रखाव की जिम्मेदारी स्वयं अनुबन्धकर्ता की होगी।
34. अनुबन्धकर्ता को छात्रावास अनुबन्ध पर चलाने के लिये अनुबन्ध आदेश जारी करने पर अनुबन्ध शुल्क रूपये 5.00 (अंके पांच रूपये मात्र) प्रतिमाह की दर से अग्रिम जमा कराना होगा।
35. अनुबन्ध फीस के अलावा ठेकेदार को फर्निचर, छत्रावास भवन, फिक्सर, गैस कनेक्शन, वाटर कुलर इत्यादि संस्थान द्वारा उपलब्ध कराने पर अतिरिक्त अनुबन्ध फीस रूपये 100.00 (अंके सौ रूपये मात्र) प्रति वर्ष की दर से अग्रिम जमा कराने होगें।
36. छात्रावास के अन्दर खाद्य/पेय सामग्री बनाने/तैयार करने के लिये लकड़ी के ईंधन का इस्तेमाल करने की पूर्ण पाबन्दी रहेगी। अनुबन्धकर्ता को एल.पी.जी. गैस कनेक्शन संस्थान द्वारा उपलब्ध करवाया जावेगा तथा सिलेण्डर को भरवाने व इसका भुगतान (को–ओपरेटिव स्टोर, अविकानगर के मापदण्डों के अनुसार जो भी राशि हो) करने की व्यवस्था स्वयं अनुबन्धकर्ता की होगी। यह कनेक्शन केवल हॉस्टल कार्य के लिये ही इस्तेमाल किया जा सकेगा। साथ ही आवश्यक सुरक्षा मापदंडों का पालन करने की जिम्मेदारी भी स्वयं अनुबन्धकर्ता की होगी। सिलेण्डरों को नियमानुसार संस्थान के को–ओपरेटिव स्टोर से भराने की सुविधा प्रदान जावेगी परन्तु सिलेण्डरों को भरवाने की व्यवस्था स्वयं अनुबन्धकर्ता की होगी। गैस चूल्हा/भट्टी की व्यवस्था अनुबन्धकर्ता को ही करनी होगी।
37. छात्रावास के अन्दर बिजली के बल्व/ट्यूबलाईटे आदि के खराब होने पर इन्हे विद्युत अनुभाग में शिकायत कर बदलवाने की जिम्मेदारी अनुबन्धकर्ता की होगी। बिजली की फिटिंग, बल्व, ट्यूबलाईटे, पंखे आदि संस्थान की सम्पति होगी।
38. छात्रावास के अन्दर खाद्य सामग्री बनाने हेतु प्रयोग आने वाले सभी बर्तनों की व्यवस्था स्वयं अनुबन्धकर्ता को करनी होगी। खाद्य/पेय सामग्री रखने/बनाने आदि के लिये साफ बर्तनों का प्रयोग करना होगा। अनुबन्धकर्ता को खाद्य/पेय सामग्री परोसने के बर्तनों को एक बार प्रयोग में आने के बाद वीम पाउडर से साफ करके गर्म पानी से धुलाने की व्यवस्था रोजाना अनुबन्धकर्ता को करनी होगी। अनुबन्धकर्ता की लापरवाही से संस्थान द्वारा उपलब्ध कराया गया सामान चोरी होता है या टूटता है तो उसका हर्जाना वसूला जावेगा अथवा उनके देय बिल से इस राशि की कटौती की जावेगी।
39. खाद्य/पेय सामग्री की दरों में संशोधन के प्रस्ताव पर एक वर्ष से पूर्व कोई भी विचार नही किया जावेगा। एक वर्ष के बाद दरों में संशोधन के प्रस्ताव पर अनुबन्धकर्ता की कार्य कुशलता, बाजार में प्रचलित दरों, सामग्री की गुणवत्ता एवं अन्य बातों को ध्यान में रखते हुये प्रभारी, स्नातकोत्तर छत्रावास की सिफारिश पर विचार किया जा सकता हैं।
40. अनुबन्ध की अवधि में किसी श्रमिक को लगाया या हटाया जाता है तो उसकी पूर्ण जानकारी या सूचना प्रभारी को देनी होगी।
41. श्रमिकों के बारे में निर्धारित रजिस्टर/मस्टरोल आदि का रख–रखाव स्वयं अनुबन्धकर्ता को करना होगा तथा लगाये गये श्रमिकों का EPF/ESI इत्यादि यदि नियमानुसार देय होता है तो अनुबन्धकर्ता द्वारा स्वयं के देय बिल राशि से देना होगा। संस्थान द्वारा इस विषय में कोई भी अलग से भुगतान का दावा स्वीकार नही करेगा। इस प्रकार का निस्तारण अनुबन्धकर्ता स्वयं अपने स्तर पर करेगा।
42. संबंधित वित्तीय वर्ष में या समय–समय पर होने वाले संशोधन के अनुसार अनुबन्धकर्ता के देय मासिक बिल में से नियमानुसार सेवाकर/आयकर (Service Tax/Income Tax) एवं उस पर लगने वाले सरचार्जेज राशि की भी कटौती की जावेगी।
43. अनुबन्ध की अवधि में आवश्यकतानुसार पत्र/डाक आदि कार्यालय मे पहुँचाने की व्यवस्था भी अनुबन्धकर्ता को करनी होगी। साथ ही स्नातकोत्तर छात्रावास, अतिथिगृह में ठहरने वाले अतिथियों के जाने की सूचना संस्थान केयर टेकर को देना तथा केयेर टेकर द्वारा काटी गई किराये की रसीद व राशि को उसी समय केशियर के पास जमा कराना होगा।
44. अनुबन्धकर्ता/प्रतिनिधि द्वारा कार्य में किसी भी प्रकार की शिथिलता/गैर जिम्मेदारी/अवज्ञा की गई तो अनुबन्धकर्ता द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले बिल मे से राशि की कटौती की जावेगी साथ ही अनुबन्ध को निरस्त करते हुये अमानत/जमानत राशि जब्त करली जावेगी।
45. अनुबन्धकर्ता/प्रतिनिधि द्वारा अनुबन्ध की अवधि में संस्थान में किसी प्रकार की चौरी/क्षति पहुँचाई जाती है तो उसकी वसूली स्वयं अनुबन्धकर्ता को नकद करनी होगी अन्यथा उनके देये बिल से काट ली जावेगी और अनुबन्ध निरस्त कर अमानत व जमानत राशि जब्त कर ली जावेगी।
46. कार्य के बिल का भुगतान प्रत्येक माह अनुबन्धकर्ता द्वारा बिल तीन प्रतियों में पूर्व प्राप्ति रसीद के साथ प्रस्तुत करने पर निश्चित समय अवधि 30–45 दिन में किया जावेगा।
47. अनुबन्धकर्ता को अनुबन्घ की अवधि में भारत सरकार के प्रचलित श्रमिक कानूनों का पालन करना होगा। भारत सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत समय–2 पर निर्धारित दर से भुगतान करना होगा। श्रमिक को भुगतान करने की जिम्मेदारी स्वयं अनुबन्धकर्ता की होगी। यदि भुगतान से सम्बन्धित किसी भी श्रमिक द्वारा कोई वाद/क्लेम प्रस्तुत करने पर माननीय न्यायालय द्वारा निर्धारित की गई राशि का पूर्ण भुगतान करने की जिम्मेदारी भी स्वयं अनुबन्धकर्ता की होगी। साथ ही बाल श्रमिक कानून का पूर्ण पालन करना होगा।
48. अनुबन्धकर्ता द्वारा जिन प्रतिनिधियों को अनुबन्ध कार्य हेतु नियुक्त किया जावेगा उनका परिचय–पत्र अनुबन्धकर्ता द्वारा स्वयं बनाकर फोटोयुक्त परिचय–पत्र अधिकृत अधिकारी (सुरक्षा अनुभाग) से जारी करवाकर प्रभारी, अतिथिगृह एवं प्रभारी स्नातकोत्तर छात्रावास में प्रस्तुत करना होगा। परिचय–पत्र का व्यय स्वयं अनुबन्धकर्ता को वहन करना होगा। प्रतिनिधियों को फोटो पहचान–पत्र आवश्यक होगा। साथ ही प्रतिनिधियों का नाम, पता व मोबाईल नम्बर इत्यादि प्रभारी को उपलब्ध कराना होगा। अनुबन्धकर्ता यह भी सुनिश्चित करने का श्रम करे कि उनके द्वारा उपलब्ध कराये गये फोन नं. चालू हालात में हो।
49. श्रमिक नियमों के अनुसार समस्त अभिलेख अनुबन्धकर्ता को तैयार कराना होगा तथा किसी भी अधिकारी द्वारा माँगने पर प्रस्तुत करना होगा।
50. सभी विवादों को निपटाने का क्षेत्राधिकार अविकानगर, मालपुरा होगा। किसी भी प्रकार का विवाद होने की स्थिति में अन्तिम निर्णय देने का अधिकार निदेशक केन्द्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान संस्थान, अविकानगर, तहसील मालपुरा, जिला टोंक, राजस्थान को होगा। जिसे अनुबन्धकर्ता द्वारा मान्य होगा।
51. यह कार्य केवल अनुबन्ध की प्रकृति (जॉब कोन्ट्रेक्ट के आधार पर) के लिये ही माना जावेगा। ठेके की अवधि व उसके उपरान्त अनुबन्धकर्ता अथवा उसके प्रतिनिधि का जॉब कान्ट्रेक्ट कार्य के अतिरिक्त संस्थान से कोई सम्बन्ध नहीं रहेगा।

52. संस्थान कें सक्षम अधिकारी को बिना कोई कारण बतायें किसी भी समय जारी अनुबन्ध आदेश को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार सुरक्षित है।
53. सफल अनुबन्धकर्ता को 100/– रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर कार्य को अनुबन्ध पर करने के लिये एग्रीमेन्ट देना होगा, जिसका प्रारूप क्रय अनुभाग से प्राप्त करना होगा।
54. संस्थान के सक्षम अधिकारी महोदय को बिना कोई कारण बताये किसी भी एक/सभी निविदाओं/कोटेशनों को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार सुरक्षित है।
55. यह सूचना इस संस्थान की वेबसाईट www.cswri.res.in e-procure.gov.in पर उपलब्ध है।

सहायक प्रशासनिक अधिकारी

यह प्रमाणित किया जाता है कि मैने निविदा/कोटेशन प्रपत्र में दर्शायी गई सभी शर्तें भली प्रकार से पढ़ली है तथा मुझे स्वीकार्य है। मैं संलग्न निविदा/कोटेशन प्रपत्र में दर्शायी गई दरों पर संस्थान के अतिथिगृह, ऑडोटोरियम व स्नातकोत्तर छात्रावास की आन्तरिक सुरक्षा, साफ–सफाई व हाऊस कीपिंग से सम्बन्धित कार्य तथा स्नातकोत्तर छात्रावास में मैस संचालन करने से सम्बन्धि कार्य को वार्षिक अनुबन्ध/जॉब कोन्ट्रेक्ट के आधार पर करने हेतु सहमत हूँ।

हस्ताक्षर निविदा/कोटेशनदाता

निविदा/कोटेशनदाता का पता

माबाईल नं.

संलग्नक : 1. श्रम विभाग से पंजीकृत होने कि प्रतिलिपि।
2. पेन कार्ड की प्रतिलिपि।
3. खाद्य अनुज्ञा पत्र की प्रतिलिपि।
3. 5000/– रूपये का डिमान्ड ड्राफ्ट।
4. अनुभव प्रमाण पत्र यदि कोई हो तो।

SCHEDULE TO TENDER

Date & Time of Receipt of Tender : 18.03.2015 at PM 1.00 PM
Date & Time of Opening of Tender : 18.03.2015 at PM 3.00 PM
The tender shall remain open for
Acceptance till : 120 days from the date of opening

Item No.	Description of goods	Specification No or Sealed Pattern	Number or Quantity	Unit Price	Station of dispatch

(The special instruction of conditions of contract applicable to this tender are attached to this schedule).

---

1. Purchaser : The Director, Central Sheep & Wool Research Institute, Avikanagar (Malpura) Distt. Tonk (Rajasthan) 304 501

2. Store are required by (date to be indicated) : Immediately

3. Consignee : Central Sheep & Wool Research Institute, Avikanagar Tehsil Malpura Distt. Tonk (Raj.)

4. The tenderers must quote clear delivery terms indicating FOB&CIF basis for imported stores and FOR station dispatch for indigenous/Ex-stock deliveries as applicable. Incomplete tenders are liable to be ignored.

5. Tenderers are bound to accept order for additional quantity at the rate quoted only if order is placed on them within one year from the date of issue of acceptance of tender.

6. In case the tenderer wants to furnish in a separate covering letter any additional information/particulars of quoted conditions (e.g. those relating to allowance, discount and rebate etc), which cannot be accommodated in the tender form by means of a note. Indication to the effect must be mention in the tender from, in the absence of such indication in the tender form the contents of the covering letter will be ignored in consideration of tender.

7. Firm should not that it is desired that their offer should remain open for acceptance for 120 days from the date of opening the tender. If the firms are unable to keep their offers open for the specified period they should specifically state in the tenders to remain open for acceptance for the period as specified in the schedule to Tender.

8. The rates for the items required in accordance to the specifications mentioned in the tenders will only be considered otherwise the same will be rejected.

9. The rates should be quoted F.O.R. Institute's Godown (and not premises) inclusive of all charges but exclusive of Sales Tax, if any.

10. The tenderer should also submit along with their tender. Income Tax and Sales Tax clearance certificate (duty countersigned by Income Tax Officer and Commercial Taxation Officer of the circle concerned under the seal of his office and also indicate the name and full address of their Banker).

11. The supply of the items will have to be completed within 30 days from the receipt of the acceptance of tender failing which it will be presumed that the tenderer is not interested in the supply and the order will automatically stand cancelled and security money deposited will be forfeited.

12. A sample of the item should be first got approved before supply of the entire quantity.

13. The firm in whose favour the tender is accepted will have to deposit an amount equal to 10% of the value of contract as Security Deposit and will have to sign an agreement before execution of work. The Security Deposit will be refunded after satisfactory supply and on the expiry of period of six month after warranty/completion of work. In case of imported items., L.C. will generally be opened on 90% of FOB value and balance 10% will be paid in Indian Rupees. The Indian agent should be registered with the DGS&D and copy of registration should be enclosed along with tenders.

14. The rates accepted will remain valid for a period of one year from the date of acceptance unless it is extended or discontinued in writing.

TENDERERS MUST GIVE SPECIFIC ANSWERS AGAINST EACH OF THE FOLLOWING QUESTIONS. TENDERS CONTAINING EQUIVOCAL OR EVASIVE REPLIES WILL BE IGNORED.

15. Whether stores offered confirm to particulars quoted in the schedule? Is not, details of deviation must be stated here.

16. (i) Brand
(ii) Name and address of the manufacturer
(iii) Station of Manufacture
(iv) Life span prescribed by the manufacturer of the items(s)
(v) Guaranteed date by which delivery can be completed.
(vi) Packing that is proposed to employee.
Whether specification packing will be adhered to.
(vii) Whether sample submitted.
(viii) (a) Gross weight of consignment.
(b) Net weight of packed items.

17. Whether you agree to the inspection clause as stipulated.

18. Stock in hand at the present time consists of:
(a) Held by us__________.
(b) Held by M/s________________________.

Over which we have secured an option.

19. Stock routed in India.

20. If the stores offered are manufactured in India? Whether all the raw materials, component etc. used in their manufacture are also produced in India. If not give details of materials, components etc. that are imported and their countries of origin. A clear breakup of the indigenous and imported component together with value and the proportion it bear to the total value of the stores should also be given:

21. Raw materials are held in stock sufficient for the manufacture of ____________________.

22. (i) Here state specially whether the price tendered by you is to the best of your knowledge and belief not more than the price usually charged by you for stores of the same nature, class or description to any private purchaser domestic or foreign as well as purchaser Govt., Semi Govt., Autonomous organization etc., If not state the reasons thereof and also indicate the margin of differences.
(ii) In respect of indigenous stores for which there is a controlled price fixed by law, the price quoted shall not be higher than the controlled price. If the price quoted exceeds the controlled price, the reasons therefore shall be specifically stated.

23. Business name and constitution of tendering firm:
Is the firm registered under
(i) The Indian Companies Act., 1596.
(ii) The Indian Partnership Act, 1932. (Please give the names of partners)
(iii) Any other (Please specify):

24. Do you agree the Arbitration clause stipulated? Your acceptance or non-acceptance of this clause will not influence the decision of the tender. It should however, be noted that an omission to answer the above question will be deemed as an acceptance to this clause.

FOR PARTNERSHIP FIRM WHETHER REGISTERED OR NOT REGISTERED UNDER INDIAN PARTNERSHIP ACT, 1932.

Should the answer to this question by a partnership firm be in the affirmative, please state further:

25. (a) Whether by the partnership agreement, authority to refer disputes concerning the business of Partnership to arbitration has been conferred to the partner who has signed the tender?
(b) If the answer to (a) is in the negative whether there is any general power of attorney executed by all the partners of the firm authorizing the partner who has signed the tender to refer disputes concerning business of the partnership to arbitration.
(c) If the answer to either (a) or (b) is in the affirmative, have you already furnished a copy of either the partnership agreement or the general power of attorney as the case may be to I.C.A.R./ Institute/ Lab./ Centre/ Station. Please quote reference to the communication by which this was done.

N.B.1. If a copy of neither the partnership agreement nor the general power for attorney has previously been furnished to the ICAR Institute/ Lab./ Centre/ Station, please attach to tender a copy of either document on which reliance is placed for authority of partners or the partner signing the tender or refer disputes of arbitration. The copy should be attested by the **Notary Public** or it's execution should be admitted by affidavit on a properly stamped paper by all the partners.

2. Where authority to refer disputed to arbitration has not been given to the partner signing the tender, the tender must be signed by every partner of the firm.

26. FOR MANUFACTURING FIRM:
I. What is your installed capacity?
II. What is your working capacity?
III. What is the existing load?
IV. What portion of your capacity
You prepared to reserve and allocate to this rate Contract?

27. FOR SOLE AGENTS/STOCKISTS:
I. What is your present stock?
II. What is the volume of orders (including Govt./Others) Pending with you at present.
III. What is the rate of flow of stocks?
IV. What is the rate of issue?

28. (i) What stock you will maintain at each important center in India.
(ii) What is the time and date required for replacement of the stocks at these centers?

29. Whether Earnest Money has been deposited? If so details thereof date and amount deposited should be quoted.

Note: Clause not required in a particular tender should be scored out duly authenticated before assuring the tender documents to the intending tenderers.

30. GENERAL: Tenderers should furnish a clear declaration as following:

I/We declare that I am/We are

(i) Manufactures
(ii) Manufacturer's authorized agents
(iii) Holders in stocks of the stores tendered for
(Strike our what is not applicable)

31. CONDITIONS OF CONTRACT: Printed or cyclostyled or such terms and conditions of tendering firms not appearing in the body of the tender will not be considered as forming part of their tender. Tendering firms should quote on the basis of the conditions referred to in para I of the Invitation to Tender and Instructions to Tenderers. In case any terms and conditions of contract applicable to this Invitation to Tender are not acceptable to the tendering Firms they should specifically state deviation there from in the body of their tender.

32. DEVIATION FROM SPECIFICATION: It is in the interest of the tenderers to study the specification/drawing etc. specified in the tender schedule thoroughly before quoting so that if any deviations are made by the tenderers the same are prominently brought out in the body of their tender.

33. PRICE:
A. prices must be in terms of new coinage system viz. Rupees & Paisa.
B. The unit prices should be for the same units indicated in the schedule to enquiry and not any other unit.

C. Prices quoted should be invariably for delivery FOR Station of destination or (of dispatch) in India and inclusive of charges such as packing, forwarding, custom duty, control ete. Where applicable.
D. Quantity discount, if any should be indicated prominently.
E. The FOR Station of dispatch prices shall be deemed to include free delivery to the consignee situated within municipal Corporation limits/ radius of 10 Kilometers from the firm premises in case of local delivery.
F. (i) Offers on firm price basis are preferred.
(ii) Where firms cannot quote firm prices, variable prices with a ceiling are preferred.
(iii) Where wages escalator is insisted upon due consideration is given to the offer with lowest wages escalator factor.

34. CUSTOM DUTY & OTHER CHARGES: The rate should be quoted on FOB basis and also CIF basis separately. The rate of custom duty in terms of percentage or exact amount must be shown for each item. The packing, forwarding, loading, unloading and other incidental charges by whatever name they may be known should be quoted/shown separately otherwise it will be presume that rate quoted are inclusive of all charges.

35. TRANSIT INSURANCE: The purchaser will not pay separately for transit insurance and the supplier will be responsible till the entire stores contracted arrived in good condition at destination.

The consignee shall as soon as possible but not letter than 60 days of the date of arrival of stores at destination, notify the contractor of any loss or damage to the stores that may have scoured during transit.

36. PAYMENT TERMS: The standard terms of payment as embodied in the General Conditions of contract and or special conditions of contract will apply and no relation will be possible. The payment term on bill basis is generally accepted and the payment of contractor bill will be made within reasonable time say 30 days after receipt of material in good condition and as per specification.

37. ADDITIONAL PARTICULARS TO BE FURNISHED BY THE TENDERER: Tenderers shall submit along with their tenders:

(i) An Income Tax Clearance and S.T. Certificate (duly countersigned by the Income Tax Officer of the circle concerned under the seal of his office.
(ii) Name and full address of their Banker.
(iii) The equipment they possess for the manufacture of the stores and quality control details.
(iv) Copy of any other license/certificate required the law relating to concern subject.

NOTE: Tender not containing the above particulars are liable to be ignored.

38. GUARANTEE/WARRANTY: The tenderers shall furnish along with their quotation the under noted guarantee/warranty:-

(i) Guarantee that they will supply parts if and when required on the agreed basis for an agreed price. The agreed basis be an agreed discount on the published catalogues or on agreed percentage of profit on the landed cost.
(ii) Warranty to the effect that before going out of production for the spare parts they will give adequate advance notice to the purchaser of the equipment so that the later may undertake the balance of the life-time requirements.
(iii) The warrantee to the effect that they will make available the blue prints or drawing of the spears, if any when required in connection with the main equipment.
(iv) The Contractor or shall furnish the following warranty in case contract is placed on him.

The Contractor or seller hereby declares that the goods/stores/articles sold to the buyer under this contract shall be of the best quality (and workmanship and shall be strictly in accordance with the specifications and particulars contained/mentioned in the clause………………… hereof and Contractor/Seller hereby guarantee that eh goods/stores/articles would continue to confirm to the description and quality aforesaid for the period of …………….. days/months and quality aforesaid from the date of delivery of the said goods/stores/articles to the purchaser and that notwithstanding the fact that the purchaser (Inspector) may have inspected and/or approved the said goods/stores/articles.

If during the aforesaid period of …………………… days/months the said goods/stores/articles be discovered not to confirm to the description and quality aforesaid or have deteriorates (and the decision of the purchaser in that behalf will be final and conclusive), the purchaser will be entitled to reject the goods/stores/articles or such portion thereof as may be discovered not be confirmed to the said description and quality. On such rejection the goods/stores/articles will be at the seller's risk and all the provisions herein contained relating to rejection of goods, shall if so, called upon to do replace within a period of ……………… Months/or such further period as may be extended from time to time by the purchaser in his discretion made here before by them on an application contractor/Seller of the goods, stores or such portion thereof as of rejected by the purchaser and in such an event the above mentioned warranty period shall apply to the goods/stores articles replaced from the date of replacement thereof otherwise the contractor

/seller shall pay to the purchase such damage as may arise by reason of the breach of the conditions herein contained. Nothing herein contained shall prejudice any other right of the purchaser in the behalf under this contract otherwise.

39. JURISDICTION: All question, disputes or differences under, out of or in connection with the contract, if concluded shall be subject to the exclusive jurisdiction of the Court within the local limits of whole jurisdiction the place from which the acceptance of tender is issued is situated.

Signature of Tenderer
& Address

CENTRAL SHEEP &WOOL RESEARCH INSTITUTE
AVIKANAGAR TEHSIL MALPURA DISTT. TONK (RAJ.)

CHALLAN FOR REFUND OF EARNEST/SECURITY MONEY CUM PRE-RECEIPT

Sl.No.	Amount of deposit	CM No./TR5 (GAR) No./FDR/call deposit receipt/ DD No./ STDR No. and date	Purpose for which deposited

Received a sum of Rs.______________________ (Rupees ________________________________ only)
as a refund of Earnest/Security Money deposited with you.

SIGNATURE OF DEPOSITOR
Climbing Refund along with
A **revenue stamp**

Name …………………………………

Address ………………………………
………………………………………..